

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 187/2018

सरकार बनाम 1. चम्पा, नैना पुत्र मोडिया वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86  
भू-अभिलेख नियम 1970.



आदेश

दिनांक:- 26.07.2018

पत्रावल आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 1970 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्बत 2074 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम उमरलाई खालसा मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नहीं है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नहीं की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /बारहमासी मार्ग उमरलाई खालसा के खसरा न 269, 264, 699/270, 521/265, 262, 270, 271, 621/272, 622/272, 277, 522/266, 276, 246, 278, 242, 243, 241, रकबा क्रमशः 0.06, 0.03, 0.03, 0.03, 0.08, 0.03, 0.13, 0.06, 0.05, 0.07, 0.06, 0.08, 0.09, 0.11, 0.12, 0.07, 0.06, बीघा मे चल रहा है।

अतः ग्राम उमरलाई खालसा के खसरा न 269, 264, 699/270, 521/265, 262, 270, 271, 621/272, 622/272, 277, 522/266, 276, 246, 278, 242, 243, 241, रकबा क्रमशः 0.06, 0.03, 0.03, 0.03, 0.08, 0.03, 0.13, 0.06, 0.05, 0.07, 0.06, 0.08,

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

0.09, 0.11, 0.12, 0.07, 0.06, बीघा में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते/ सड़क का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।


उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारों को नोटिस जारी कर तलब किया, दोनों पक्षकार उपस्थित। दोनों पक्षकारों ने आपसी राजीनामा सहमति जाहिर की।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पंचपदरा को ग्राम उमरलाई खालसा के खसरा न 269, 264, 699/270, 521/265, 262, 270, 271, 621/272, 622/272, 277, 522/266, 276, 246, 278, 242, 243, 241, रकबा कम्प्ले: 0.06, 0.03, 0.03, 0.03, 0.08, 0.03, 0.13, 0.06, 0.05, 0.07, 0.06, 0.08, 0.09, 0.11, 0.12, 0.07, 0.06, बीघा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क 'अ' से 'ब' के अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है एवं परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु 'अ' से 'ब' तक उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत्, खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय में दिनांक 26.07.2018 को सुनाया गया।



(भागीरथ राम)  
भ. अभिलेख अधिकारी,  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालेश्वर  
(S.D.O.) बालेश्वर